न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 85/2017

विजय प्रकाश शर्मा पुत्र गोकुल चन्द शर्मा निवासी ब्रम्ह अखाडा टोडारायसिंह जिला टोंक
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक
––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 21.12.2017**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 25.10.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1–23 अगस्त 2017 से आज तक आपके कार्यालय एंव नगर पालिका मालपुरा टोंक के मध्य हुए समस्त पत्राचार की प्रतिलिपियां।

2–23 अगस्त 2017 से आज तक आपके कार्यालय एंव नगर पालिका टोडारायसिंह टोंक के मध्य हुए समस्त पत्राचार की प्रतिलिपियां।

3–23 अगस्त 2017 से आज तक आपके कार्यालय एंव पुलिस थाना टोडारायसिंह टोंक के मध्य हुए समस्त पत्राचार की प्रतिलिपियां।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को पत्र कमांक 2001 दिनांक 12.12.2017 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक ने पत्र कमांक 1046 दिनांक 19.12.2017 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र कमांक 1023 दिनांक 11.12.2017 से सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवादी गई है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)